न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी

(बईजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर ए एस)
राजस्व--वाद संख्याः-- 194 / 2017

वादी

1-- शंकर गोदपुत्र नानू उर्फ नैना

जाति कुमावत निवासी थांवला तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण

1--भंवरूराम पुत्र गणेशराम

2--राजूराम पुत्र गणेशराम

3--विश्रामराम पुत्र गणेशराम तहसील रियांबड़ी

4-- श्रीमान तहसीलदार रियांबड़ी

5--पटवारी हलका थांवला

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88,91 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक--

वादी ने यह राजस्व वाद घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88,91 आरटीएक्ट का पेश किया जाकर निवेदन किया कि

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3आपस में एक ही परिवार के सदस्य है और हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है।

ग्राम थांवला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1634 रकबा 1.6200 हैक्टर व खसरा नंबर 1631 रकबा 0.3700 हैक्टर,खसरा नंबर 1632 रकबा 0.4000 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी,व खसरा नंबर 1633 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 1639 रकबा 1.8800 कुल रकबा 2.6600 एंव खसरा नंबर 1224 रकबा 0.0700 हैक्टर,खसरा नंबर 1229 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल रकबा 0.5500 हैक्टर भूमि वाके है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में विवादित खसरान के नाम से संबोधित की जावेगी।

यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि का पारिवारिक बंटवारा हो रखा है। खसरा नंबर 1634 रकबा 1.62 हैक्टर खसरा नंबर 1631 रकबा 0.3700,खसरा नंबर 1632 रकबा 0.4000 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नंबर 1633 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा खसरा नंबर 1639 रकबा 1.8800 हैक्टर कुल रकबा 2.6600 हैक्टर में सें 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज है। जबकि उक्त

सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

भूमि वादी के बंट में रखी गई है। इस प्रकार उक्त खसरान की भूमि में सें 1/2 हिस्सा वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। जिससेस उक्त भूमि में सें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर वादी के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की जाना न्यायोचित है।

यह है कि खसरा नंबर 1224 रकबा 0.0700 हैक्टर,खसरा नंबर 1229 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल रकबा 0.5500 हैक्टर में सें 1/4 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है तथा 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। उक्त खसरान में वादी का हिस्सा नहीं है,क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के बंट की है। इस प्रकार उक्त खसरान की भूमि में सेसं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी का काश्त व कब्जासुद है। जिससे उक्त भूमि में सें वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की जाना न्यायोचित है।

यह है कि विवादित खसरान की खातेदारी काश्त व कब्जासुद के विपरीत दर्ज है। जिससे ग्राम थांवला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 1634 रकबा 1.6200 हैक्टर व खसरा नंबर 1631 रकबा 0.3700 हैक्टर,खसरा नंबर 1632 रकबा 0.4000 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी,व खसरा नंबर 1633 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 1639 रकबा 1.8800 कुल रकबा 2.6600 हैक्टर में सें 1/2 हिस्सा की भूमि वादी की बंटसुदा,खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जावें। तथा थांवला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1224 रकबा 0.0700 हैक्टर,खसरा नंबर 1229 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल रकबा 0.5500 हैक्टर में सें 1/2 हिस्सा की प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित की जावें। तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन के जबाब हेतू तलब किया गया। दिनांक 1.9.2017 को वादी मय वकील व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मय वकील के उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इसलिए राजीनामा अनुसार हमारा वाद डिक्री किया जावें। राजीनाम बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन प्रस्तुत हुआ जो जारी किया गया। जो बाद तामिल के प्राप्त हुआ। आवाज दी गई,बावजूद तामिल के अनु.रहने पर उनके विरूध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील ने अपनी बहस में बताया कि मुतनाजा आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है और पक्षकारान एक ही परिवार से है और राजस्व रेकर्ड में बंट के अनुसार खातेदारी नहीं है। इसलिए रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहते है। इसलिए पक्षकारान ने अपना राजीनामा भी पेश कर दिया है। इसलिए राजीनामा के अनुसार वाद को डिक्री की जाकर खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी मौजा थांवला संवत् 2066–2070 का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि मुतनाजा आराजी पक्षकारान की पैतृक है और अपनी सहूलियत से किये बंट के मुताबिक राजस्व रेकर्ड में अमल

सहायक कलक्टर
रियाँबड़ी(नागौर)

दरामद नहीं है। इसलिए रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहते है। जो न्यायोचित है। अतः समस्त विवेचन से वादी का वाद जरिए राजीनामा के स्वीकार किया जाकर वाद की इस्तदुआ पेरा संख्या 9 –ए के अनुसार वाद को डिक्री किया खातेदारी की घोषणा की जाती है :–

" ग्राम थांवला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 1634 रकबा 1.6200 हैक्टर व खसरा नंबर 1631 रकबा 0.3700 हैक्टर,खसरा नंबर 1632 रकबा 0.4000 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी,व खसरा नंबर 1633 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 1639 रकबा 1.8800 कुल रकबा 2.6600 हैक्टर में सें 1/2 हिस्सा की भूमि वादी की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा थांवला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1224 रकबा 0.0700 हैक्टर,खसरा नंबर 1229 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल रकबा 0.5500 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा की प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम की खातेदारी की घोषित की जाती है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्त अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जावे। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बेंक में रहन रखा हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी(नागौर)

निर्णय आज दिनांक बईजलास खुले में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी(नागौर)

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम रियॉबडी

वादी

1– शंकर गोदपुत्र नानू उर्फ नैना

जाति कुमावत निवासी थांवला तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण

1–भंवरूराम पुत्र गणेशराम

2–राजूराम पुत्र गणेशराम

3–विश्रामराम पुत्र गणेशराम तहसील रियांबड़ी

4– श्रीमान तहसीलदार रियांबड़ी

5–पटवारी हलका थांवला

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,91 आर टी एक्ट.1955 मुकद्दमान राजस्व वाद संख्याः– 194/2017 आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी.... मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

" ग्राम थांवला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 1634 रकबा 1.6200 हैक्टर व खसरा नंबर 1631 रकबा 0.3700 हैक्टर,खसरा नंबर 1632 रकबा 0.4000 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी,व खसरा नंबर 1633 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 1639 रकबा 1.8800 कुल रकबा 2.6600 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा की भूमि वादी की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा थांवला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1224 रकबा 0.0700 हैक्टर,खसरा नंबर 1229 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल रकबा 0.5500 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा की प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम की खातेदारी की घोषित की जाती है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्त अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जावे।

नोटः उपरोक्त खसरान में से कोई भी खसरा किसी बेंक में रहन रखा हो तो रहन यथावत रहेगा।

................लीत.....................मुबलिक...............बाबात.............खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर..................... .फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक...............का अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख –

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी
सहायक कलक्टर रियाँबड़ी(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपय	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		

स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकेन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये

(गौरीशंकर शर्मा)
सहायक कलक्टर
रियांबड़ी

सहायक कलक्टर
रियांबड़ी (नागौर)